
इकाई 9 राज्य दलीय व्यवस्थाएँ*

संरचना

- 9.0 उद्देश्य
- 9.1 प्रस्तावना
- 9.2 राजनीतिक दल का अर्थ और दलीय व्यवस्था
- 9.3 राज्यों में काँग्रेस प्रभुत्व के दौरान दलीय व्यवस्था
- 9.4 1970-1980 दशकों के दौरान राज्यों में दलीय व्यवस्था – विस्तृत विशेषताएँ
- 9.5 1990 दशक से राज्यों में दलीय व्यवस्था
 - 9.5.1 राज्यों में बहु-दलीय व्यवस्था
 - 9.5.2 द्वि-दलीय व्यवस्था राज्यों में
- 9.6 सारांश
- 9.7 संदर्भ
- 9.8 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

9.0 उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात् आप :-

- दलीय व्यवस्था के अर्थ को समझा कर सकेंगे;
- विभिन्न राज्यों की दलीय व्यवस्था के तरीकों के अंतर को समझा सकेंगे;
- दलीय व्यवस्था में हुए परिवर्तनों की चर्चा कर सकेंगे, तथा
- दलीय व्यवस्था को सामाजिक एवं आर्थिक ढाँचे के साथ जोड़ सकेंगे।

9.1 प्रस्तावना

प्रतिनिधी लोकतंत्र में लोग अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं और ये प्रतिनिधी ही कार्यपालिका का हिस्सा होते हैं और लोगों की तरफ से कानून बनाते हैं। मुख्य रूप से राजनीतिक दल ही चुनावों में उम्मीदवारों को उतारते हैं तथा ये प्रत्याशी निकायों में उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। चूंकि लोकतंत्र में चुनाव जरूरी होते हैं इसलिये राजनीतिक दल महत्वपूर्ण हो जाते हैं। राजनीतिक दल आमतौर पर सरकार में अपनी भूमिका निभाते हैं और अपने हितों की रक्षा करते हैं। इस प्रकार प्रतिनिधी लोकतंत्र में राजनीतिक दल अपने प्रत्याशियों के लिये प्रकार करते हैं तथा समर्थन प्राप्त करते हैं। राजनीतिक दल एवं उनके प्रत्याक्षी जब विधायी निकायों में चुन लिये जाते हैं तब वे लोगों की मांगों एवं उनकी अपेक्षाओं के लिये काम करते हैं। भारतीय राज्यों में कई प्रकार के राजनीतिक दल होते हैं। इस इकाई में आप भारतीय राज्यों की दलीय व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे।

* प्रोफेसर अरुण कुमार जाना, राजनीति विज्ञान विभाग, नॉर्थ बंगाल, सिलीगुड़ी दार्जिलिंग तथा मौली डे, रिसर्च स्कॉलर, राजनीति विज्ञान विभाग, यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ बंगाल, सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग।

9.2 राजनीतिक दल का अर्थ और दलीय व्यवस्था

राजनीतिक वैज्ञानिकों के बीच राजनीतिक दलों एवं उनके अर्थ एवं लक्ष्यों के बारे में एक सामान्य राय है। एक राजनीतिक दल एक संगठन है जिसका उद्देश्य प्रतिनिधियों के माध्यम से सरकार में शामिल होना या सरकार बनाना है। इसका प्रमुख उद्देश्य सत्ता प्राप्त करना है। उम्मीदवार राजनीतिक दलों के सदस्यों के रूप में चुनाव लड़ते हैं तथा वे विधायी निकायों में लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। राजनैतिक दल एक लोकतांत्रिक देश में अलग-अलग लोगों का समर्थन पाने के लिये प्रतिस्पर्धा करते हैं। स्केवार्ज एवं लॉसन के अनुसार (2005) राजनीतिक दल “एक ऐसा संगठन है जो उम्मीदवारों को चुनाव में खड़े होने के लिये नामित करता है और सरकार में प्रतिनिधियों को जगह देना चाहता है”। दलीय व्यवस्था किसी देश में राजनीतिक दलों की संख्या को निरूपित करती है। एक दलीय व्यवस्था के अंदर एक दल की उपस्थिति को दर्शाता है जहाँ अन्य दल अनुपस्थित रहते हैं या उनका कोई महत्व नहीं होता है। द्वि-स्तरीय व्यवस्था में दो दलों की उपस्थिति होती है जबकि बहु-दलीय व्यवस्था में अनेक राजनैतिक दल होते हैं। इस प्रकार भारतीय राज्य में दलों की संख्या की उपस्थिति उनकी प्रकृति को दर्शाती है। चुनाव आयोग उनके समर्थन एवं मान्यता के आधार पर राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय, राज्य/क्षेत्रीय, गैर-मान्यता प्राप्त दल के रूप में वर्गीकृत करता है। कई मौके पर, खासकर चुनाव लड़ने या सरकार का गठन करने में राजनीतिक दल गठबंधन या मोर्चा बनाते हैं। ऐसे गठबंधनों की सदस्यता राजनीतिक दलों की जरूरतों के अनुसार परिवर्तित होती रहती है।

9.3 राज्यों में काँग्रेस पार्टी के प्रभुत्व के दौरान दलीय व्यवस्था

भारतीय राज्यों की दलीय व्यवस्था को हम अच्छी भांति तभी समझ सकते हैं जब भारत में उसे राष्ट्रीय स्तर पर दलीय व्यवस्था के साथ जोड़कर देखें। भारत में 1970 के दशक तक एक ही पार्टी का वर्चस्व था, वह पार्टी थी काँग्रेस रजनी कोठारी ने 1950-1960 के दशक को काँग्रेस के प्रभुत्व का युग या “काँग्रेस व्यवस्था” कहा था। कई राज्यों में, अखिल भारतीय स्तर की तरह एक पार्टी ही अस्तित्व में थी। लेकिन कुछ राज्यों में काँग्रेस पार्टी के साथ-साथ अन्य दल भी मौजूद थे। उदाहरण के तौर पर, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का केरल और जम्मू एवं कश्मीर में नेशनल कांफ्रेस मजबूत आधार था। केरल में, सी.पी.आई. ने 1957-1959 में सरकार भी बनाई थी। 1960 के केरल विधान सभा चुनावों में काँग्रेस को बहुमत नहीं मिला तथा इसने पी. एस.पी. तथा मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सरकार बनाई थी। नागालैंड में भी गैर-काँग्रेसी सरकार थी, जिसका नेतृत्व नागा नेशनल संगठन ने किया था, जो कि 1963 में विधान सभा चुनावों के बाद गठित हुआ था। यद्यपि कुछ राज्यों में स्वतंत्रता प्राप्ति के दो दशक तक काँग्रेस के अलावा अन्य दल भी थे, लेकिन राजनीतिक संदर्भ में, यह काँग्रेस के प्रभुत्व का ही दौर था, जैसा कि रजनी कोठारी ने कहा था। 1960 के दशक के अंत तक, काँग्रेस के वर्चस्व के युग का समापन शुरू हो गया था। उस वक्त कई राज्यों में गैर-काँग्रेसी सरकारों का गठन हो गया था जिसे संयुक्त विधायक दल कहते हैं। ये राज्य थे हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, मद्रास एवं केरल। काँग्रेस के पतन के कई कारण थे। इनमें काँग्रेस के भीतर

गुटबाजी तथा लोगों में काँग्रेस के खिलाफ बढ़ता असंतोष था। इसका प्रमुख कारण अकाल, भुखमरी, क्षेत्रीय असमानताएँ तथा दक्षिण भारत में भाषा का विवाद इत्यादि था। गैर-काँग्रेसी दलों जिनमें एस.एस.पी., पी.एस.पी., सी.पी.आई., जन संघ तथा आर.पी.आई. ने काँग्रेस की विफलता के खिलाफ लोगों को लामबंद किया था। इसने काँग्रेस के पतन और क्षेत्रीय दलों को उभरने का मौका दिया। विभिन्न राज्यों में पार्टी या दलीय व्यवस्था का पैटर्न अलग-अलग था जैसे कि द्वि-स्तरीय दलीय व्यवस्था तथा बहु-दलीय व्यवस्था। 1970 के दशक से लेकर 2020 तक भारत के कई राज्यों में दो दलीय व्यवस्था या बहु-दलीय व्यवस्था विद्यमान थी। द्वि-दलीय व्यवस्था में प्रमुख दलों का ही वर्चस्व ज्यादा था। इसका यह मतलब नहीं कि अन्य दलों का अस्तित्व नहीं था, बल्कि इसका मतलब यह था कि दो दल ज्यादा प्रभावी थे, जबकि अन्य दलों का प्रभाव कम था। बहु-दलीय व्यवस्था में, एक या दो से अधिक दलों की भूमिका राज्य की राजनीति में होती है। राज्यों में दलों की संख्या में परिवर्तन होता रहता है। नये दलों का उदय तथा पुराने दलों का लुप्त हो जाना यह एक निरंतर प्रक्रिया है जो कई कारणों पर आधारित है। इनमें सबसे प्रभुत्व करना है पार्टियों के भीतर गुटबाजी और विभाजन, नये नेतृत्व का उदय जो कि कुछ सामाजिक समूहों का प्रतिनिधित्व करते थे, तथा विस्थापित राजनीतिक दलों के खिलाफ लोगों का गुस्सा। निम्न खंड दलीय व्यवस्था की पैटर्नों से संबंधित है जो 1970 के बाद देखे गए हैं। यह खण्ड विभिन्न राज्यों में दलीय व्यवस्था के चरित्र की चर्चा करता है।

9.4 1970-1980 के दशकों में राज्यों में दलीय व्यवस्था : विस्तृत विशेषताएँ

1967 के चुनावों में भारतीय राज्यों में द्वि-दलीय या बहु-दलीय व्यवस्था का उदय हुआ। 1967 के चुनाव में काँग्रेस का राज्यों में खराब प्रदर्शन रहा इसका प्रमुख कारण काँग्रेस के खिलाफ लोगों का आक्रोश था, जो कि 1960 के दशकों के बाद बढ़ता गया। 1970-1980 के दशक में भारतीय राज्यों में दो दलीय व्यवस्था की व्यापकता थी। हालांकि कई राज्यों में दो से अधिक दलों का अस्तित्व था लेकिन दलीय व्यवस्था में द्वि-दलीय व्यवस्था का प्रभुत्व था। इस द्वि-दलीय व्यवस्था में दो दल अन्य दलों की तुलना में अधिक प्रभावी होते हैं। दो प्रमुख और प्रभावीशाली दलों के अलावा अन्य दलों का प्रभाव कम था। इन प्रमुख पार्टियों में काँग्रेस अधिकांश राज्यों में मौजूद थी और क्षेत्रीय पार्टी इसकी प्रतिद्वंद्वी थी। काँग्रेस की उत्पत्ति राष्ट्रीय आंदोलन में हुई थी जबकि 1960 के दशक के उत्तरार्ध में राज्यों में अन्य पार्टियों का जन्म काँग्रेस की गिरावट से हुआ था। ये दल क्षेत्रीय आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं और इनका नेतृत्व भी क्षेत्रीय नेताओं द्वारा किया गया था। 1970-1980 के दशकों के दौरान विभिन्न राज्यों में द्वि-दलीय व्यवस्था के उदाहरण देखे जा सकते हैं। उत्तर प्रदेश में चरण सिंह ने 1969 में एक क्षेत्रीय पार्टी की स्थापना की जिसे भारतीय क्रांति दल के तौर पर जाना जाता है। इसका प्रमुख आधार कृषक समुदाय के लोग जाट, यादव, कुर्मी जो कि प्रमुखतया उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में था। इन समुदाय के लोगों ने भूमि-सुधार का लाभ उठाया था तथा जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हरित क्रांति से भी लाभान्वित हुए थे। उस समय बी.के.डी. और काँग्रेस के साथ यूपी.में दो सबसे प्रभावशाली दल थे। काँग्रेस और बी. के. डी. के अलावा अन्य दल भी थे जैसे सोशलिस्ट पार्टी या संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, लेकिन इसका प्रभाव इन दो दलों से कम था। 1977 और 1980 दशक में जनता पार्टी भारत में प्रमुख राजनीतिक दल बन गए

थे और काँग्रेस को हाशिये पर पहुँच गई थी। इसकी केन्द्र व अन्य राज्यों में सरकार भी बन गई थी। जनता पार्टी का गठन कुछ दलों के विलय के बाद हुआ था। उनमें से कुछ दलों ने आपातकाल (जून 1975 – मार्च 1977) का विरोध किया था। जनता पार्टी के गठन के लिये जिन पार्टियों ने विलय किया, उनमें जनसंघ, भारतीय लोक दल, काँग्रेस (ओ) और काँग्रेस फॉर डेमोक्रेसी शामिल थी। लेकिन जनता पार्टी भी लंबे समय तक अस्तित्व में नहीं रही। यह पार्टी आंतरिक असंतुलन के कारण विघटित हो गई थी, मूल रूप से जनता पार्टी बनाने में लिये विलय कर चुके दलों ने अलग-अलग नामों के साथ स्वतंत्र पहचान बना ली थी। यू.पी. में चरण सिंह ने पहली पार्टी बनाई जिसका नाम था जनता दल (एस)। उसके उन्होंने बाद दलित मजदूर किसान पार्टी तथा अंत में लोक दल बनाया गया था। यह दल चौधरी चरण सिंह की मृत्यु 1987 तक अस्तित्व में था। 1988 में इसका भी विलय अन्य दलों में हो गया था जैसे जनता पार्टी, जनता दल (सेकूलर) इंडियन नेशनल काँग्रेस (उर्स) और जन मोर्चा जिसके कारण जनता दल बना। उस वक्त तक उत्तर प्रदेश में काँग्रेस और लोकदल दो ही प्रमुख दल थे। बिहार में भी 1970-1980 के दशकों में द्वि-दलीय व्यवस्था मौजूद थी। इस राज्य में, जनता दल के गठन के पहले, काँग्रेस के विरोधी दल के रूप में सोशलिस्ट पार्टी, जनता पार्टी या लोक दल रह गए थे। 1979 में बिहार में भी जनता पार्टी का विभाजन हुआ था। लोक दल और काँग्रेस बिहार में प्रमुख राजनीतिक दल थे। 1979 में लोक दल का स्थान जनता दल ने ले लिया था। पंजाब, राजस्थान, महाराष्ट्र और हिमाचल प्रदेश में द्वि-दलीय व्यवस्था की विशेषताओं थी। दो मुख्य दलों में मौजूद थीं, जबकि काँग्रेस इन सभी राज्यों में मौजूद थी, प्रत्येक राज्य में काँग्रेस का एक मुख्य विपक्षी दल भी था। काँग्रेस के विपक्ष में पंजाब में अकाली दल, राजस्थान ने बी.जे.पी. एवं महाराष्ट्र में शिव सेना थी। गैर-काँग्रेसी दलों ने लोगों की अपेक्षाओं का प्रतिनिधित्व किया था। यहाँ यह बात गौर करने लायक है कि कई राज्यों में 1970-1980 के दशक में अन्य पार्टियाँ भी अस्तित्व में थी। लेकिन ये दल या तो निष्प्रभावी थे या फिर ये कुछ समय तक ही अस्तित्व में थे। इस कारण 1970 से 1980 के दशक में कई राज्यों में दो-दलीय व्यवस्था दलीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता बन गई।

अभ्यास प्रश्न 1

- 1) “काँग्रेस व्यवस्था” के पतन के क्या कारण थे?

.....

.....

.....

.....

.....

- 2) 1970-1980 के दौरान राज्यों में दलीय व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं की व्याख्या कीजिये।

.....

.....

.....

9.5 1990 के दशक से राज्यों में दलीय व्यवस्था

1990 से 2010 दशकों के दौरान भारतीय राज्यों में बहु-दलीय व्यवस्था का अस्तित्व था। इस दौरान राजनीतिक दलों में कई प्रकार का बिखराव देखा गया जो कि भारतीय दलीय व्यवस्था की एक विशेषता बन गई थी। कुछ राज्यों में दो-दलीय व्यवस्था की उपस्थिति भी देखी गई थी। यह काल भारत में आर्थिक सुधारों का काल भी माना जाता है। इसका एक कारण संघीय ढाँचे में क्षेत्रीय दलों का प्रभाव बढ़ता प्रभाव था। इस संदर्भ में, सेज (2002) ने अपने अध्ययन में यह पाया कि भारतीय संघ के 12 राज्यों में क्षेत्रीय दलों का प्रमुख स्थान है और इन दलों ने राज्य विधान सभाओं में बहुमत प्राप्त करके कई सरकारें भी बनाई थी। आप यह जानते होंगे कि भारत में 28 राज्य हैं और 8 केन्द्र शासित प्रदेश है। इनमें ज्यादातर में द्वि-दलीय या बहु-दलीय व्यवस्था है। इस इकाई में हम 1990 के दशक से कुछ राज्यों की दलीय व्यवस्था की चर्चा करेंगे। इन उदाहरणों से हमें भारतीय राज्यों की दलीय व्यवस्था के लक्षणों को समझने में मदद मिलेगी। किसी राज्य में दलों का कम होना या ज्यादा होना वहाँ की सामाजिक व्यवस्था में आये परिवर्तन का असर है तथा वहाँ के नेताओं और पार्टियों के बीच संबंध भी इसका प्रमुख कारण है। राजनीतिक दलों की संख्या में वृद्धि का। वे सामाजिक समूह जो समाज में आये बदलाव के कारण उभरे हैं, किसी भी दल के भीतर गुटबाजी या मुख्य दलों के भीतर उचित पदों के लिये अवसरों की कमी ये कुछ प्रमुख कारण है। जैसा कि आपने इस इकाई के पूर्व भाग में पढ़ा होगा, 1950 से 1980 के दशकों इन चार दशकों के दौरान भारतीय राज्यों में पार्टी व्यवस्था में बदलाव आया है। जिसमें मौटे तौर पर एकल प्रभुत्व से द्वि-दल या बहु-दलीय व्यवस्था में परिवर्तन देखा गया है। 1990 के दशक से भारतीय राज्यों में फिर से दलीय व्यवस्था में महत्वपूर्ण बदलाव देखे गये हैं। इस अवधि के दौरान कई राज्यों में राजनीतिक दलों की संख्या कई गुणा हो गई है। यह भारतीय राज्यों में बहु-दलीय व्यवस्था की विशेषता की उपस्थिति को इंगित करता है। वास्तव में भारत के कुछ राज्यों में बहु-दलीय व्यवस्था है जबकि अन्य राज्यों में दो-दलीय व्यवस्था का अनुसरण किया जाता है। राजनीतिक दलों के साहित्य में, भारतीय राज्यों में कई दलों का उदय पार्टियों के गुणन या विखंडन के रूप में वर्णित किया गया है। यह 1990 के दशक से 2010 तक कुछ राज्यों में दलीय व्यवस्था की विशेषताओं से संबंधित एक सूचक है। यह कुछ राज्यों में पार्टी व्यवस्था के उदाहरणों को प्रस्तुत करता है। ये उदाहरण लगभग सभी राज्यों में दलीय प्रणालियों की व्यापक विशेषताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं।

9.5.1 राज्यों में बहुदलीय व्यवस्था

उत्तर प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु एवं अन्य कई राज्यों में बहु-दलीय व्यवस्था है। उत्तर-प्रदेश, बिहार और तमिलनाडु के उदाहरणों के साथ इस अनुभाग में हम राज्य दलीय व्यवस्था की चर्चा करेंगे। 1990 के दशक से भारत में बहु-दलीय व्यवस्था, राज्यों की प्रमुख विशेषता बन गई थी। बी.एस.पी. के उदय के साथ 1980 के अंत में दलों का गुणात्मक स्वरूप देखने को मिला था। बी.एस.पी. ने समाज बहुजन के वर्गों की समस्याओं को सुलझाने पर जोर दिया था। बी.एस.पी., ओ.बी.सी., महिलाओं, धार्मिक अल्पसंख्यकों एवं समाज के वंचित वर्गों की पार्टी हैं। यद्यपि बी.एस.पी. का समर्थन आधार समाज के विभिन्न वर्गों में है, लेकिन, इसके ज्यादातर समर्थक दलित समुदाय से आते हैं। इस पार्टी की नेता मायावती 1990 और 2010 के मध्य चार बार

मुख्यमंत्री बनी है। इसने वंचित वर्गों के कल्याण के लिये कई प्रकार के कार्यक्रम किये। तथा इसने दलित एवं वंचित वर्गों की सांस्कृतिक पहचान को भी, आगे बढ़ाया। बी.एस.पी. के अलावा इस दौरान उत्तर प्रदेश में अन्य दल भी अस्तित्व में थे। इनमें बी.जे.पी., काँग्रेस, जनता दल, आर.एल.डी. तथा समाजवादी पार्टी प्रमुख पार्टियां थी। इनके अलावा भी अन्य जाति आधारित छोटी-छोटी पार्टियां भी राज्य में विद्यमान थी। इन राजनीतिक दलों में जनता दल जिसकी स्थापना 1988 में हुई थी बहुत कम समय तक ही अस्तित्व में था। अपने गठन के कुछ समय बाद ही उत्तर प्रदेश में जनता दल का विभाजन हो गया और वह दो दलों में बंट गया। इनमें एक अजीत सिंह के नेतृत्व में आर. एल. डी. तथा दूसरा मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी के तौर पर सामने आया था। कई समय तक उत्तर प्रदेश में विभिन्न राजनीतिक दलों का प्रभाव चुनावों में अलग-अलग रहा है। इस दौरान काँग्रेस का प्रभाव कम हो गया एवं बी.जे.पी. तथा अन्य पार्टियों का प्रभाव बढ़ने लगा। काँग्रेस के अलावा, एस. पी., बी.एस.पी., आर.एल.डी., बी.जे.पी. एवं अन्य जाति आधारित पार्टियों ने 1993 से 2020 तक सरकार बनाई या सरकार का हिस्सा थीं। ये दल सरकार बनाने में सहयोगी थे एवं गठबंधन का हिस्सा भी थे। 1990 दशक के अंत में, यूपी. में, एक विशेष जाति पर आधारित दलों का उदय को देखा है। इन दलों को विशेष जाति के नेताओं के द्वारा बनाया गया था जिनमें, पिछड़े वर्ग, अति-पिछड़े वर्ग शामिल है। इनमें से कुछ उदाहरण है जैसे कि अपना दल, जिसकी स्थापना सोनेलाल पटेल ने की थी और उसके बाद उसकी पुत्री अनुप्रिया पटेल इसकी नेता थी जो बाद में एन.डी.ए. सरकार में (2014-2019) में मंत्री भी बनी थी। इन सभी दलों का गठन विशेष जाति से संचित नेताओं के द्वारा किया गया था, जिनमें से कई पूर्व में बहुजन समाज पार्टी के सदस्य भी थे। क्योंकि उन्हें यह महसूस हुआ कि उनको इस पार्टी में उचित पहचान नहीं मिल रही है तो उन्होंने अपना अलग दल बनाने की सोची (सिंह 2021)। इन पार्टियों के नेताओं ने बड़ी पार्टियों के साथ सौदेबाजी करके चुनाव में अपना गठबंधन किया और उनके साथ मिलकर सरकार भी बनाई।

बिहार में 1990 से बहु-दलीय व्यवस्था अस्तित्व में थी। इस राज्य में ये विभिन्न दल उपस्थिति इस प्रकार है :- आर.जे.डी., जे.डी.यू., एल.जे.एस.पी., बी.जे.पी. तथा काँग्रेस। इसके अलावा वहाँ पर अन्य छोटे-2 दल भी मौजूद हैं, जैसे हम (हिन्दुस्तान अवाम मोर्चा) जिसका नेतृत्व जीतन राम माझी करते हैं, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी जिसके नेता उपेन्द्र कुशवाहा हैं तथा इनकी संख्या और उनके नाम बदलते रहते हैं। इन पार्टियों की पहचान जो कि काँग्रेस एवं बी.जे.पी. से भिन्न हैं, उनके नेताओं से की जाती है। इन दलों की प्रमुख विशेषता है कि ये अन्य दलों जैसे जनता दल (यू), आर.जे.डी., एल.जे.एस.पी. से विभाजन के पश्चात् उभर कर सामने आये हैं। जैसा कि आपने पढ़ा है जनता दल का गठन वी.पी. सिंह ने किया था। यूपी. में जनता दल का विभाजन दो पार्टियों में समाजवादी पार्टी तथा राष्ट्रीय लोक दल जिनका नेतृत्व मुलायम सिंह यादव और अजित सिंह ने किया हुआ था। बिहार में इस दल का विभाजन तीन दलों में हुआ। ये दल है : आर.जे.डी. जिसके नेता लालू यादव हैं, जे. डी.यू. जिसके नेता नितिश कुमार हैं तथा एल.जे.पी. जिनके नेता रामविलास पासवान हैं। वास्तव में इन तीनों की विचारधारा एवं कार्यक्रम एक जैसे ही हैं। इन्होंने आपातकाल के पूर्व 1975 में जे. पी. आंदोलन में हिस्सा लिया। ये समाजवाद विचारधारा में विश्वास रखते हैं जिनके नेता राम मनोहर लोहिया एवं जयप्रकाश नारायण थे। उन्होंने सामाजिक रूप से वंचित समुदायों जैसे कि ओ.बी.सी., दलित

इत्यादि का भी प्रतिनिधित्व किया। यद्यपि, इन पार्टियों को विभिन्न सामाजिक और आर्थिक वर्गों का समर्थन प्राप्त था लेकिन इनका समर्थन का आधार प्रमुख तौर पर उनकी अपनी जातियों पर आधारित था जिनसे वे आते थे। एक ही पृष्ठभूमि के होने के बावजूद उन्होंने अलग दल बनाए। अलग दल बनाने के पीछे प्रमुख कारण उनके नेताओं के बीच राजनीतिक प्रतिस्पर्धा था। नये दलों का गठन, उनके विलय और उनके बीच गठबंधन बनाया, बहु-दलीय व्यवस्था की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। विभाजन, विलय और गठबंधन, राजनीतिक दलों में आम बात है। विशेषकर चुनावी राजनीति के संदर्भ में और सरकार के गठन में। उदाहरण के लिये, जे.डी.यू. विभाजन हुआ और हिन्दुस्तान आवाम पार्टी का गठन हुआ, जिसका नेतृत्व उपेन्द्र कुशवाहा और जीतनराम मांझी ने किया। उपेन्द्र कुशवाहा जो वर्षों तक समता पार्टी के नेता थे, ने राष्ट्रीय समता पार्टी का गठन किया 2009 में, लेकिन उन्होंने इसे जे.डी.यू. में विलय कर दिया। लेकिन उन्होंने जे.डी.यू. छोड़कर, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी बनाई। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी को फिर से जे.डी.यू. में विलय कर दिया गया। राजनीतिक दलों का गुणन विभिन्न समूहों के बीच प्रतिस्पर्धा को दर्शाता है सत्ता संरचना में उनके हिस्से के लिये। इसे राज्यों में काँग्रेस की गिरावट के साथ चिन्हित किया गया है। और विभिन्न समुदायों में भाजपा के विस्तार का आधार के तौर पर भी देखा जाता है, तथा पिछड़े वर्गों, दलितों के नेताओं द्वारा दलों के गठन के तौर पर भी देखा गया है। 1990 के दशक से भाजपा का विस्तार काँग्रेस की गिरावट की तुलना में बहुत अधिक नाटकीय रहा है। 1990 के विधानसभा चुनावों में इसका प्रदर्शन शानदार रहा, हालाँकि उन राज्यों में जहाँ क्षेत्रीय दल हैं वहाँ इसका प्रदर्शन इतना नाटकीय नहीं रहा सिवाय महाराष्ट्र, पंजाब और असम को छोड़कर।

तमिलनाडु में 1990 के दशक से बहु-दलीय व्यवस्था का स्वरूप दिखाई दिया है। 2020 के दशक में तमिलनाडु में कुछ दल इस प्रकार है – डी.एम.के., ए.आई.ए.डी.एम.के., पी.एम.के.। इन पार्टियों को द्रविड़ पार्टियों के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा, तमिल मलिना काँग्रेस (टी.एम.सी.), एम.आई.एम., सी.पी.आई., सी.पी.आई. (एम) काँग्रेस, बी.जे.पी. इत्यादि दल भी वहाँ पर है। कुछ राजनीतिक दलों को उनके नेताओं द्वारा भी जाना जाता है। इन्हें द्रविड़ पार्टियों के जाना जाता है जो द्रविड़ विचारधारा से भी प्रभावित होती है, इनका लक्ष्य जो लोगों को आत्म-सम्मान प्रदान कराना होता है। ये तमिल भाषा और द्रविड़ संस्कृति की रक्षा करने का भी प्रयास करती है। डी.एम.के. पहले डी.के. के नाम से भी जाना जाता थी। 1949 में डी.के. ही डी.एम.के. बनी जिनके नेता सी.एन. अन्नादुरे थे। 1972 में, डी.एम.के. के विभाजन दो दलों में हो गया और नया दल ए.आई.ए.डी.एम.के. बन गया। 1960 के दशक में ये दोनों द्रविड़ पार्टियाँ राज्य में मजबूत दल के रूप में उभर कर सामने आईं। उस से पहले काँग्रेस राज्य में, अन्य राज्यों की तरह मजबूत पार्टी थी। लेकिन द्रविड़ पार्टियों की तुलना में विशेषकर डी.एम.के. और ए.आई.ए.डी.एम.के., अन्य पार्टियों खासकर काँग्रेस, बी.जे.पी. तथा कम्युनिस्ट पार्टियाँ का आधार बहुत कम है। 1977 में, डी.एम.के. का विभाजन हो गया और एम.जी. रामचंद्रन के नेतृत्व में ए.आई.ए.डी.एम.के. का गठन हुआ। नरेन्द्र सुब्रमनियन के अनुसार (2002) द्रविड़ पार्टियों के अलावा अन्य दलों का गठन वहाँ की व्यवस्था की स्वायत्ता एवं लचीलेपन कारण हुआ है।

9.5.2 राज्यों में द्वि-दलीय व्यवस्था

भले ही बहुदलीय व्यवस्था राज्य पार्टी व्यवस्था में एक प्रमुख विशेषता बन गई है, लेकिन भारत में अभी भी कुछ राज्यों में दो दलीय व्यवस्था मौजूद है। राजस्थान और पंजाब उन राज्यों में कुछ ऐसे ही उदाहरण हैं जहाँ पर द्वि-दलीय व्यवस्था मौजूद हैं। यह उपखंड दो-दलीय व्यवस्था के बारे में है। ये उन राज्यों से भिन्न हैं जिनमें बहु-दलीय व्यवस्था है, जैसे कि यूपी. एवं बिहार। यहाँ पर जाति आधारित समूहों बहुदलीय व्यवस्था वाले राज्यों में अलग-अलग दल है, जैसे बी.एस.पी., एस.पी., आर. जे.डी., जे.डी.यू. इत्यादि। छोटी जातियों या एक ही जाति के छोटे दलों की उपस्थिति अस्तित्व नहीं है। तथापि, यहाँ पर भी कभी-कभी छोटे दलों का उदय देखा गया है। इस प्रकार इन राज्यों में मोटे तौर पर दो पक्षीय व्यवस्था रही है। दो दलीय व्यवस्था की उपस्थिति या बहु दलीय व्यवस्था की अनुपस्थिति का प्रमुख कारण राजनेताओं या सामाजिक समूहों/जातियों के नेताओं द्वारा अलग-अलग पार्टियों का गठन करना तथा सामाजिक और आर्थिक संरचनाओं में इनके समूहों के हितों को संरक्षित रखना है। ये मुख्य दल ही दो दलीय व्यवस्था बनाते हैं। मुख्य दलों के भीतर गुटबाजी के अलावा उनके भीतर प्रतिस्पर्धा के परिणामस्वरूप प्रमुख दलों में विभाजन नहीं होता। और नई पार्टियों को इससे अलग होने की प्रेरणा मिलती है। राजस्थान में दोनों दलों काँग्रेस एवं भाजपा ने दो दलीय व्यवस्था का प्रतिनिधित्व किया। इनमें से प्रत्येक दल ने राजस्थान में 1990 के दशक के समय सरकारें बनाई। राजनीतिक तौर पर प्रभावशाली जातियाँ जैसे जाट, राजपूत और ब्राह्मणों को दोनों पार्टियों में समायोजित किया गया है। अन्य जातियाँ जैसे दलित और अति पिछड़ा वर्ग राज्य में राजनीतिक तौर पर वंचित जातियाँ हैं। यूपी. के विपरीत, वे अलग से दल बनाने में सक्षम नहीं हैं। हालांकि कुछ उच्च जाति और पिछड़े वर्गों के नेताओं में 1999 में अलग पार्टी (राजस्थान सोशल जस्टिस फोरम) बनाई जिसने काँग्रेस का विरोध किया राज्य में जाटों को ओ.बी.सी. में पहचान दिलाने के कारण किया था। यह पार्टी अपने अस्तित्व में आने के कुछ वर्षों में भीतर ही बंद हो गई। राज्य के कुछ क्षेत्रों जैसे सीकर, झुंझनू में सी.पी.आई. (एम) को समर्थन मिला (सिंह 2021)। पंजाब में, तीन पार्टियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज की है, जिसे अकाली दल, काँग्रेस एवं बी.जे.पी. के नाम से जाना जाता है। अकाली दल को सिख समुदाय विशेषकर जाट सिख से समर्थन प्राप्त है। बी.जे.पी. के समर्थन का आधार ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में शहरी क्षेत्रों में अधिक है। पंजाब की राजनीति में अकाली दल और बी.जे.पी. सितंबर 2020 तक, जब अकाली दल ने किसानों के मुद्दों पर भाजपा नीति राजग को छोड़ दिया, सहयोगी दल रहे हैं।

अभ्यास प्रश्न 2

- 1) 1990 के दशक से भारत में दलीय व्यवस्था की विशेषताओं की पहचान कीजिये।

.....

.....

.....

.....

.....

.....

2) कुछ राज्यों में छोटे दल या एक ही दल उभरे क्यों हैं, समझाइये।

.....

.....

.....

.....

.....

9.6 संदर्भ

बम्बवाल, के. आर. 1998, 'रीजनल पार्टिज इन इंडिया पोलिटिक्स' इन एस. भटनागर और प्रदीप कुमार (एड) *रीजनल पोलिटिकल पार्टिज इन इंडिया*, न्यू-दिल्ली एस प्रकाशन।

ब्रास, पॉल, आर, 1995, *द पोलिटिक्स ऑफ इंडिया सिंस इन डिपेंडेंस*, न्यू दिल्ली कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस।

चटर्जी, पार्था, 1998, 'इंट्रोडक्शन' इन पार्थ चटर्जी (एड.) *स्टेट एण्ड पोलिटिक्स इन इंडिया*, दिल्ली ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस।

दिवाकर, रेखा, 2017, "*पार्टी सिस्टम इन इंडिया*" (ऑक्सफोर्ड इंडिया पोर्ट इंट्रोडक्शन सीरीज, न्यू-दिल्ली (ओ.यू.पी.)।

हसन, जोया, 2002, "इंट्रोडक्शन, कन्फ्लिक्ट, प्लूटोलिज्म एण्ड द कम्पीटिशन पार्टी सिस्टम इन इंडिया" जोया हसन (एड.) *पार्टिग एण्ड पार्टी पोलिटिक्स इन इंडिया*, दिल्ली-ऑक्सफोर्ड।

होर्ट, हर्टमैन, 1971 *पोलिटिकल पार्टिज इन इंडिया*, मेरठ, मीनाक्षी प्रकाशन।

खरे, हरिश, 1998, *पार्टिज, नेशनल एण्ड रीजनल : इंस्टिट्यूशंस ऑफ गवर्नेंस*, पी.आर. चारी (एड.) इंडिया टवार्डस मिलेनियम, न्यू दिल्ली मनोहर।

मेनर, जेम्स, 1990, "पार्टिज एण्ड द पार्टी सिस्टम" इन अतुल कोहली (एड.) *इंडियाज डेमोक्रेसी : एन एनालिसिस ऑफ वेंजिंग स्टेट सोसाइटी रिलेशंस* : प्रिंरूटन प्रिंसटन यूनिवर्सिटी प्रेस।

पाई-सुधा, 1990, *रीजनल पार्टिज एण्ड द इमर्जिंग पैटर्न ऑफ पोलिटिक्स इन इंडिया*, इंडियन जर्नल ऑफ पोलिटिकल साइंस, जुलाई सितम्बर।

पालस्कार, सुहास 2003, "द रीजनल पार्टिज एण्ड डेमोक्रेसी। रोमांटिक रेन्डेवोस ओर लोकलाइज्ड लेजिटिमेशन? इन अजय के. मेहरा डी.डी. खन्ना, गर्ट, डब्ल्यू. क्नेक *पोलिटिकल पार्टिज एण्ड पार्टी सिस्टम*, न्यू दिल्ली सेज प्रकाशन।

सेज लारेंस, 2002, *फेडरलिज्म विदाउट ए सेंटर : द इंपैक्ट ऑफ पोलिटिकल एण्ड इकोनोमिक रिफोर्म ऑन इंडियाज फेडरल सिस्टम*, दिल्ली विस्तार।

सिंह, जगपाल, 2021, *कास्ट, स्टेट एण्ड सोसाइटी : डिग्री ऑफ डेमोक्रेसी इन नोर्थ इंडिया*, लंदन एण्ड न्यूयार्क राउटलेज।

श्रीधरम ई. 2002, "द फ्रैगमेंटेशन ऑफ द इंडियन पार्टी सिस्टम, 1952-1999 सेवन कंपीटिंग एक्सक्लूज़िविटी" इन जोया हसन (एड.) *पार्टीज एण्ड पार्टी पोलिटिक्स इन इंडिया* दिल्ली ऑक्सफोर्ड।

सुब्रमनियन नरेन्द्र, 2002, "ब्रिगिंग सोसाइटी बैक इन: एथलिसिटी, पोपुलिज्म एण्ड प्लूलिज्म इन इंडिया", इन हसन जोया (एड.) *पार्टीज एण्ड पार्टी पोलिटिक्स इन इंडिया* - ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, न्यू दिल्ली पेज 397-427।

9.7 सारांश

राजनीतिक व्यवस्था से तात्पर्य ऐसे राजनीतिक दलों से है जो किसी देश में मौजूद है। भारत में राजनीति के संदर्भ में, किसी राज्य में पार्टी व्यवस्था वहाँ उपस्थित राजनीतिक दलों की संख्या को इंगित करती है। भारत में राज्य पार्टी व्यवस्था 1950 के दशक से बदल गई है। स्वतंत्रता प्राप्ति के प्रथम दो दशकों तक अखिल भारतीय स्तर पर और साथ ही राज्य स्तर पर एक ही पार्टी का प्रभुत्व था, वह थी काँग्रेस पार्टी। उस समय रजनी कोठारी ने काँग्रेस को एक व्यवस्था कहा था। 1950-1960 के दशकों के दौरान राज्यों में काँग्रेस पार्टी का ही प्रभुत्व था, यद्यपि कुछ राज्यों में कुछ गैर-काँग्रेसी दल भी मौजूद थी। 1960 के दशक के अंत तक कांग्रेस का पतन शुरू हो गया था और अगले दो दशकों में यानि, 1970-1980 के दशक में ये दलीय व्यवस्था राज्य दलीय व्यवस्था की विशेषता बन गई। विभिन्न राज्यों में दो या अधिक दलों का उदय हुआ। 1990 के दशक की अवधि में दलों का गुणन या विघटन देखा। इस अवधि में कई दलों का उदय हुआ। कई दलों ने एक जाति दल भी शामिल हैं। ऐसे दल उत्तर प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु राज्यों में उपस्थित है। हालांकि बहुदलीय व्यवस्था भी एक प्रमुख विशेषता बन गई उस दौरान, लेकिन इस चरण के दौरान राज्य पार्टी व्यवस्था में भी दो दलीय व्यवस्था रही है।

9.8 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

अभ्यास प्रश्न 1

- 1) निम्नलिखित कारणों से काँग्रेस व्यवस्था में गिरावट आई। लोगों की जरूरतों को पूरा करने में नाकाम रहने पर काँग्रेस के खिलाफ आक्रोश था। यह आक्रोश भारत में आम चुनाव के प्रथम दशक के बाद खाद्य संकट के कारण देखने को मिला। गैर-काँग्रेसी दलों ने कांग्रेस के खिलाफ लोगों की समस्याओं के समाधान में असमर्थता के लिये लोगों को लामबंद किया। इसके अलावा, काँग्रेस के भीतर गुटबाजी भी प्रखर थी। यह काँग्रेस में आई गिरावट को दर्शाता है जो कि 1960 के दशक के अंत तक कई राज्यों में देखने को मिली।
- 2) भारतीय राज्यों में दलीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता को दो दलीय व्यवस्था थी, जिसमें काँग्रेस भी एक दल था। कुछ दलों ने काँग्रेस के खिलाफ विरोध किया था उनके नेता ने 1960 के दशक तक काँग्रेस के सदस्य थे। इन दलों और नेताओं ने क्षेत्रीय आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व किया। लगभग तीन साल (1977-1980) तक कुछ विपक्षी दलों का विलय के कारण जनता पार्टी का गठन किया था। जनता पार्टी में विभाजन के बाद जनता पार्टी के विभिन्न गुटों ने

अलग-अलग नामों से पार्टियां बनाईं। उदाहरण के तौर पर जनसंघ भारतीय जनता पार्टी बन गई।

राज्य दलीय
व्यवस्थाए

अभ्यास प्रश्न 2

- 1) 1990 के दशक से राज्य पार्टी व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएँ – पार्टियों के विघटन के तौर पर देखी जा सकती है। यह राज्यों में या पार्टियों की बढ़ती संख्या बहु-दलीय व्यवस्था की ओर कई इशारा करती है, हालांकि कुछ राज्यों में दो दलीय व्यवस्था विद्यमान थी। ऐसा पार्टियों के में अलग-अलग नेताओं के बीच आंतरिक प्रतिस्पर्धा के कारण होता है। अधिक दल बड़ी संख्या में विभिन्न समूहों को समायोजित कर सकते हैं।
- 4) छोटी पार्टियों का गठन आमतौर पर हाशिये पर रहने वाली जातियों के नेताओं द्वारा किया जाता है। उनके नेताओं को लगता है कि उन्हें मुख्य पार्टियों में उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिलता है। यह उन्हें उनके नेतृत्व में पार्टियों के गठन के लिये प्रेरित करता है।



ignou
THE PEOPLE'S
UNIVERSITY